संख्या-3/2019/164/53-2-19-2(विविध)2018

प्रेषक,

डॉ0 सुधीर एम0 बोबडे,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

दुग्ध आयुक्त,
दुग्धशाला विकास, उ0प्र0,
जवाहर भवन, लखनऊ।

दुग्ध विकास अनुभाग-2 लखनऊ: दिनांक 31 जनवरी, 2019

विषयः-"शाहजहाँपुर महिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लि0" (SHMMUL) के प्रशासन एवं प्रबन्धन को 05 वर्ष की अवधि के लिए राष्ट्रीय डेरी विकास बोर्ड (एनडीडीबी) को हस्तगत किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-766/दुग्ध-4/नियो0/शाहजहॉपुर प्रस्ताव/2018-19, दिनांक 01.01.2019 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा पी0सी0डी0एफ0 के पत्रांक-2284/डी-2/एमएसडी/ए/सीपी/ शाहजहॉपुर प्रस्ताव/2018-19, दिनांक 31.12.2018 के साथ संलग्न "शाहजहाँपुर महिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लि0" (SHMMUL) के प्रशासन एवं प्रबन्धन को 05 वर्ष की अवधि के लिए राष्ट्रीय डेरी विकास बोर्ड (एनडीडीबी) को हस्तगत किये जाने के सम्बन्ध में राष्ट्रीय डेरी विकास बोर्ड (एनडीडीबी) द्वारा तैयार किये गये डी0पी0आर0 को अंगीकृत करते हुए डीपी0आर0 की हस्ताक्षरित प्रति आवश्यक कार्यवाही हेतु उपलब्ध कराया गया है।

2- उल्लेखनीय है कि उत्तर प्रदेश दुग्ध विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत विचार-विमर्श हेतु मा**0** राज्य मंत्री**,** भारत सरकार**,** कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय की अध्यक्षता में दिनांक **16** अप्रैल**, 2018** को कृषि भवन**,** नई दिल्ली में एक बैठक सम्पन्न हुई। उक्त बैठक में राष्ट्रीय डेरी विकास बोर्ड (एनडीडीबी) द्वारा उत्तर प्रदेश के शाहजहाँपुर जनपद में दुग्ध मूल्य सम्वर्धन विकास (डेयरी वैल्यू चेन डवलपमेन्ट) पर प्रस्तुतिकरण किया गया। उक्त बैठक में यह निर्णय लिया गया कि शाहजहाँपुर जनपद को दुग्ध संघ बरेली से पृथक कर स्वतन्त्र दुग्ध संघ की स्थिति बहाल करने के संबन्ध में आवश्यक कार्यवाही प्रारम्भ की जाय। पृथक दुग्ध संघ शाहजहॉपुर को महिला दुग्ध संघ में परिवर्तित कर**,** उसका नाम **"**शाहजहॉपुर महिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लि**0"** रखा जाय। विभाजन के पश्चात् नवसृजित शाहजहाँपुर महिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लि**0** का प्रशासन व प्रबन्धन **05** वर्षो की अवधि के लिये एनडीडीबी को हस्तान्तरित किया जायेगा। पीसीडीएफ लि**0** एवं एनडीडीबी द्वारा इस सम्बन्ध में एक अनुबन्ध किया जाय।

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

3- उपर्युक्त लिए गये निर्णय के अनुक्रम में दुग्ध आयुक्त एवं निबन्धक, दुग्ध सहकारी समितियां, उ0प्र0 के आदेश पत्रांक-सी-**417**/दुग्ध-**2**/सह**0**/ दु**0**सं**0**-बरेली/ विभाजन/**2018-19**, दिनांक-**30.08.2018** द्वारा दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लि0 बरेली से शाहजहाँपुर को नियमानुसार व निहित प्रक्रियानुसार पृथक कर दिनांक **01.09.2018** से "**शाहजहाँपुर महिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लि**0" **(SHMMUL)** का गठन कर दिया गया है, जो वर्तमान में स्वतंत्र महिला दुग्ध संघ के रूप में कार्यरत है। "**शाहजहाँपुर महिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लि**0" **(SHMMUL)** की अंतरिम प्रबन्ध कमेटी की बैठक दिनांक **22.11.2018** द्वारा शाहजहाँपुर महिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लि**0** शाहजहाँपुर का संचालन राष्ट्रीय डेरी विकास बोर्ड (एनडीडीबी) के माध्यम से कराने का निर्णय लिया गया है। "**शाहजहाँपुर महिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लि**0" **(SHMMUL)** का **Model By-Laws** दिनांक 04.01.2019 को पंजीकृत भी हो चुका है।

4- राष्ट्रीय डेरी विकास बोर्ड (एनडीडीबी) द्वारा तैयार किये गये डी0पी0आर0 के अनुसार शाहजहाँपुर महिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लि**0** के लिए परियोजना अवधि **2018-19** से **2022-23** पांच साल की अवधि के लिए की गई है। परियोजना के अन्तर्गत चतुष्पक्षीय अनुबन्ध राष्ट्रीय डेरी विकास बोर्ड (एनडीडीबी), उत्तर प्रदेश सरकार/दुग्ध आयुक्त कार्यालय, प्रादेशिक कोआपरेटिव डेरी फेडरेशन लिमिटेड (पीसीडीएफ) और शाहजहाँपुर महिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लिमिटेड के मध्य किया जायेगा, जिसके अन्तर्गत शाहजहाँपुर महिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लि0 का प्रबन्धन एवं संचालन प्रशासक के रूप में एनडीडीबी द्वारा किया जायेगा, जिसमें एनडीडीबी को पूर्ण स्वायत्तता प्रदान की जायेगी। अनुबन्ध की अवधि अनुबन्ध के दिनांक से पांच वर्ष के लिए प्रभावी होगी। पांच वर्षों की अवधि पूर्ण होने के पश्चात, उत्तर प्रदेश सरकार/दुग्ध आयुक्त कार्यालय, पीसीडीएफ, एनडीडीबी और शाहजहाँपुर महिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लिमिटेड इस चतुष्पक्षीय अनुबन्ध की अवधि के विस्तार के सम्बन्ध में समीक्षा कर विचार कर सकते हैं अथवा, इसे सभी पक्षों की पारस्परिक सहमति से बढ़ाया या समाप्त किया जा सकता है, परन्तु इस उद्देश्य के लिए तीन महीने पूर्व लिखित नोटिस दी जायेगी।

5- उल्लेखनीय है कि उ0प्र0 सहकारी समिति अधिनियम, 1965 की धारा-29 के अन्तर्गत छः माह के लिए एनडीडीबी के प्राधिकृत अधिकारियों को सम्मिलित करते हुए दुग्ध संघ के प्रबन्धन हेतु अन्तरिम प्रबन्ध कमेटी बनायी जायेगी। अधिनियम की धारा-29 के अन्तर्गत अन्तरिम प्रबन्ध कमेटी को छः-छः माह तक (आगामी 05 वर्ष तक के लिए) बढ़ायी जायेगी।

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

6- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उपर्युक्त के परिप्रेक्ष्य में सम्यक् विचारोपरान्त् निम्नलिखित बिन्दुओं पर कार्यवाही किये जाने पर अनुमोदन प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया है:-

(1) शाहजहाँपुर महिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लि0 (SHMMUL)के प्रबन्धन एवं संचालन की व्यवस्था आगामी 05 वर्ष के लिए राष्ट्रीय डेरी विकास बोर्ड (एनडीडीबी) को हस्तान्तरित किया जाये।

(2) शाहजहाँपुर महिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लि0 का प्रबन्धन एवं संचालन एनडीडीबी द्वारा किया जायेगा, जिसमें एनडीडीबी को पूर्ण स्वायत्ता प्रदान की जाये।

7- उक्त के अतिरिक्त मुझे यह भी कहने का निदेश हुआ है कि सम्यक् विचारोपरान्त् निम्नलिखित बिन्दुओं पर कार्यवाही किये जाने पर सैद्धान्तिक अनुमोदन प्रदान किये जाने का भी निर्णय लिया गया है:-

(1) परियोजना के प्रारम्भिक वर्षों में दुग्घ संघ के संचालन में होने वाली हानि के सापेक्ष एनडीडीबी द्वारा ऋण के रूप में निधि उपलब्ध करायी जायेगी, जो ब्याज सहित "शाहजहाँपुर महिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लि0" (SHMMUL) द्वारा एनडीडीबी को देय होगी। इस सम्बन्ध में पीसीडीएफ द्वारा काउन्टर गारण्टी प्रदान की जायेगी।

(2) "शाहजहाँपुर महिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लि0" (SHMMUL) के प्रबन्धन एवं संचालन के लिए एनडीडीबी के साथ न्याय विभाग द्वारा विधीक्षित **चतुष्पक्षीय अनुबन्ध का प्रारूप संलग्न है।** चतुष्पक्षीय अनुबन्ध राष्ट्रीय डेरी विकास बोर्ड (एनडीडीबी)**,** उत्तर प्रदेश सरकार/दुग्ध आयुक्त कार्यालय**,** प्रादेशिक कोआपरेटिव डेरी फेडरेशन लिमिटेड (पीसीडीएफ) और शाहजहाँपुर महिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लिमिटेड (SHMMUL) के मध्य किया जायेगा।

8- अत: कृपया उपर्युक्त प्रस्तर-6 व 7 में लिये गये निर्णयानुसार कार्यवाही सुनिश्चत करते हुए, कृत कार्यवाही से शासन को अवगत कराने एवं हस्ताक्षरित चतुष्पक्षीय अनुबन्ध की एक मूल प्रति शासन को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

<u>संलग्नक:यथोक्त।</u>

भवदीय,

(डॉ0 सुधीर एम0 बोबडे)
प्रमुख सचिव।

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

संख्या-3/2019/164(1)/53-2-19-2(विविध)2018, तद् दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकार उ0प्र0 इलाहाबाद।
2- अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, वित्त, सहकारिता, पशुधन विभाग, उ0प्र0 शासन।
3- अध्यक्ष, राष्ट्रीय डेरी विकास बोर्ड (एनडीडीबी), आनन्द, गुजरात।
4- प्रबन्ध निदेशक, पी0सी0डी0एफ0लि0, 29-पार्क रोड, लखनऊ ।
5- आयुक्त, बरेली मण्डल, बरेली /जिलाधिकारी, शाहजहॉपुर।
6- सचिव, उ0प्र0 राज्य दुग्ध परिषद, जवाहर भवन लखनऊ
7- निदेशक, पशुपालन विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
8- वित्त नियन्त्रक, दुग्धशाला विकास विभाग, जवाहर भवन, लखनऊ ।
9- मुख्य कोषाधिकारी/वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ/ शाहजहॉपुर ।
10- मुख्य दुग्धशाला विकास अधिकारी, दुग्ध आयुक्त कार्यालय, जवाहर भवन, लखनऊ ।
11- प्रबन्धक, "शाहजहाँपुर महिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लि0", शाहजहॉपुर।
12- वेबमास्टर, दुग्धशाला विकास विभाग, जवाहर भवन, लखनऊ को इस आशय से प्रेषित कि इसे विभागीय वेबसाइट पर प्रदर्शित करें।
13- वित्त (व्यय नियन्त्रण) अनुभाग-1, उ0प्र0 शासन।
14- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(बिन्द गोपाल द्विवेदी)
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।